प्राक्कथन

मार्च 2013 को समाप्त वर्ष हेतु यह प्रतिवेदन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के इस प्रतिवेदन में विदेश मंत्रालय द्वारा 2007–08 से 2011–12 के दौरान वैश्विक संपदा प्रबंधन की निष्पादन लेखापरीक्षा के परिणाम सम्मिलित हैं। 2012–13 के बाद की अवधि से संबंधित मामलों को भी मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत उत्तर के आधार पर शामिल किया गया है।

लेखापरीक्षा, भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों की संगति में की गयी है।

लेखापरीक्षा, विदेश मंत्रालय द्वारा लेखापरीक्षा प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में प्राप्त सहयोग के लिए आभार प्रकट करता है।